

दिनांक : 28.07.2022

पत्रावली प्रस्तुत हुई।

वाद पुकारा गया।

राज्य की ओर से विद्वान अभियोजन अधिकारी श्री धर्मेन्द्र कुमार न्यायालय में उपस्थित हैं। अभियुक्त अनुपस्थित। अभियुक्त के विरुद्ध पुनः समन जारी किया जाये।

पत्रावली वास्ते उपस्थिति अभियुक्त हेतु दिनांक 16.08.2022 को प्रस्तुत हो।

(सचिन कुमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चमोली।